चुनाव/अन्य कार्य में [illegible] है
अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली
दिनांक 27/11/25 को पेश हो।

27/11/25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। प्रार्थी का वाद सं० 4/2017 प्रा०पत्र 07 क 11 जो०वी० स्वीकार किये जाने पर वादी का वाद खारिज किया जा चुका है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखने/चलने का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है अतः प्रा०पत्र अस्थाईनिषेधाज्ञा खारिज। होप किया जाता है। पत्रावली फैसल रजुआत होकर दर्ज जे० से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक